

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक :-एफ.2(779)/डीओआईटीएण्डसी/2025

जयपुर, दिनांक :

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान राज्य कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नलिखित कार्मिकों ने राजकाज ऑनलाईन के माध्यम से इस विभाग को निम्नानुसार अग्रिम अध्ययन हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित किये हैं-

क्र. सं.	कार्मिक का नाम एवं पदनाम श्री/सुश्री/श्रीमती	वर्तमान पदस्थापन	पाठ्यक्रम का नाम	विश्वविद्यालय का नाम
1	जिम्मी वर्मा, सहायक प्रोग्रामर	जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, कोटा	M.A.(English Lit.) Previous 2026-27	VMOU, KOTA
2	कपिल यादव, सूचना सहायक	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटपूतली	DLIS 2026-27	VMOU, KOTA
3	खुशबू हल्दवानिया, सूचना सहायक	सहायक निदेशक, निदेशक लोक सेवाएँ, जोधपुर	M.Sc.(CS) I Year 2026-27	VMOU, KOTA

उपयुक्त कार्मिकों द्वारा उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु दूरस्थ माध्यम से प्रवेश की अनुमति चाही गई है। उक्त हेतु कार्मिकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधधीन प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता या गैर-मान्यता के संबंध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।
12. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शक्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(अखिलेश मित्तल)

तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर को अपलोड करने हेतु।
2. संबंधित विभाग/कार्यालय
3. संबंधित कार्मिक
4. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी

Signature valid

Digitally signed by Akhlesh Mittal
Designation: Head of Office
Date: 2026.03.06 15:25:15 IST

RajKaj Ref No.: 20800939



Reason Approved